प्रिविलेज कार्ड योजना निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन लागू किये जाने हेतु नियम एवं शर्तें:-

1. निगम के अधीन संचालित समस्त इकाईयो के उपयोगार्थ उक्त प्रिविलेज कार्ड का विक्रय निगम द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा किया जायेगा तथा उक्त कार्ड समस्त इकाईयों के लिये मान्य होगा ।
2. प्रिविलेज कार्ड की डिजाईन/प्रारूप को प्रबन्ध निदेशकसे अनुमोदित कराते हुये फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर मुद्रित कराया जायेगा । प्रिविलेज कार्ड को क्रमागत आधार पर उभरे हुये (इम्बोज्ड) अक्षरो मे मुद्रित कराया जायेगा । प्रिविलेज कार्ड पर सम्बन्धित कार्ड धारक के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें ।
3. प्रिविलेज कार्ड का विक्रय मूल्य रू0-1999.00 प्रति प्रिविलेज कार्ड निर्धारित होगा । फर्म द्वारा प्रिविलेज कार्ड के विक्रय मूल्य मे से रू0-999.00 प्रति कार्ड की दर से निगम मुख्यालय को माह मे विक्रय किये गये कार्डो के आधार पर अंश के रूप मे धनराशि आगामी माह के प्रथम सप्ताह अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा । विक्रय किये गये प्रिविलेज कार्ड की सूचना क्रमागत आधार पर कार्ड धारक के विवरण यथा-नाम, पता, मोबाईल नम्बर, कार्ड संख्या एवं वैधता अवधि की तिथि आदि की सूचना फर्म द्वारा निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी ।
4. प्रिविलेज कार्ड धारको को निगम की इकाईयों के रेस्टोरेण्ट की मीनू दरो पर 15 प्रतिशत की छूट, कक्षो की टैरिफ पर 25 प्रतिशत की छूट तथा बार की सुविधा पर 10 प्रतिशत की छूट, प्रिविलेज कार्ड के प्रस्तुत करने पर अनुमन्य होगी । कार्ड धारक को इकाई मे ली गयी सुविधायें का तत्समय भुगतान करने पर ही छूट अनुमन्य होगी ।
5. प्रिविलेज कार्ड की वैधता अवधि कार्ड निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी तथा कार्ड निर्गत करने की भी वैधता अवधि एक वर्ष हेतु मान्य होगी ।
6. प्रिविलेज कार्ड धारकों को प्रिविलेज कार्ड पर अनुमन्य सुविधायें लेने पर निगम की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई अन्य लाभ/सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।
7. प्रिविलेज कार्ड कार्पोरेट व्यवसाय हेतु कम्पनी के नाम से दिया जायेगा तथा कार्पोरेट क्लाईट हेतु हस्तान्तरणीय होगा ।
8. प्रिविलेज कार्ड धारक को कार्ड की वैधता अवधि मे मात्र एक बार रात्रि प्रवास हेतु एक ए0सी0कक्ष डबल आक्युपेन्सी कम्प्लीमेन्ट्री आधार पर किसी भी इकाई में कक्ष उपलब्ध होने की दशा उपलब्ध कराया जायेगा।
9. प्रिविलेज कार्ड धारक को किटी पार्टी /बैक्वेट हॉल अन्य विविध आयोजन पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य की जायेगी"
10. योजनान्गर्त पूर्व की भॉति नियमानुसार वस्तु एवं सेवा कर आदि का भुगतान देय होगा ।
11. निगम व्यवसाय हित में प्रिविलेज कार्ड योजना किसी भी सयम समाप्त करने का अधिकार निगम प्रबन्ध को होगा। उक्त योजना से सम्बन्धित वाद-विवाद में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का निर्णय अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा।